

6

स्वास्थ्य उप जिला कलेक्टर बौली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री बत्तीनारायण भीना आर.ए.एस

विविध प्रार्थना पत्र संख्या - 4/20

हेमलता पत्नि रघुवीर सिंह जाति दरोगा उम 48 वर्ष निवासी जयलालपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर राज०

.....प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बौली जिला स०मा०

.....अप्रार्थी

उपस्थित :- श्री वीपी सिंह राजावत एडवोकेट, प्रार्थीया की ओर से

विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

धारा 111 व 128, 129 भू राजस्व अधिनियम 1956

बाबत सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी


दिनांक.....27.6.22

आदेश

प्रार्थीया की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का दायर किया है कि प्रार्थीया की ग्राम जयलालपुरा तहसील बौली में अंकित खाता सं० 19 के खसरा नम्बर 701 रकबा 0.8900 है० कुल किता कुल रकबा 0.8900 है० खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थीया का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अडोसी-पडोसी खातेदारानों व खातेदार के बीच विवाद है। प्रार्थीया उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहती है। पत्थरगढी करवायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल उपस्थित नहीं। इस कारण एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। खाता सं० 19 के खसरा नम्बर 701 रकबा 0.8900 है० कुल किता कुल रकबा 0.8900 है० भूमि ग्राम जयलालपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। इस बाबत पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गयी। पटवारी हल्का शिशोलाव ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकन किया कि ग्राम जयलालपुरा तहसील बौली के खसरा नम्बर 701 रकबा 0.8900 है० कुल किता कुल रकबा 0.8900 है० भूमि खातेदार हेमलता पत्नि रघुवीर जाति दरोगा निवासी जयलालपुरा के नाम दर्ज रिपोर्ट है। उक्त भूमि पर खातेदार द्वारा ही कब्जा काश्त की जा रही है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अडोसी-पडोसी खातेदारानों व खातेदार के बीच विवाद है। उक्त भूमि की सीमाओं की सही जानकारी सीमाज्ञान/पत्थरगढी करने पर ही मालूम किया जाना संभव है।


  
उप जिला कलेक्टर  
बौली जिला सवाई माधोपुर

मुताबिक जमाबंदी उक्त आराजीयात प्रार्थीया के खातेदारी की होना प्रथम दृष्टया रिक्त पाया गया। उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान खातेदार के हक सुरक्षित रखने हेतु सीमाज्ञान आवश्यक है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।


आदेश

तहसीलदार बौली को आदेश दिये जाते है कि ग्राम जयलालपुरा तहसील बौली जिला रावाई माधोपुर के खाता सं० 19 के खसरा नम्बर 701 रकबा 0.8900 है० कुल कित्ता कुल रकबा 0.8900 है० भूमि के अडोस-पडोस के खेतों में फसल सरसब्ज न होने पर अर्थात् पडोस से खेत खाली होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पुलिस इमदाद से सीमांकन कर पत्थरगढी करावें। पत्थरगढी का व्यय प्रार्थी स्वयं वहन करेगा। पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।



  
(बदी नारायण मीना)  
उप जिला कलेक्टर  
बौली बौली रावाई माधोपुर

आदेश आज दिनांक 27.6.22 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

  
उप जिला कलेक्टर  
बौली बौली रावाई माधोपुर